

- 68.11 संस्थान के संकाय सदस्यों को क्यू0आई0पी0 के अन्तर्गत एम0टेक0/पी0एच0डी0 करने हेतु सवेतन अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार

परिषद के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सम्यक विचार विमर्श कर यह निर्णय दिया गया कि शिक्षकों को क्यू0आई0पी0 के अन्तर्गत एम0टेक0 हेतु 02 वर्ष तथा पी0एच0डी0 हेतु 03 वर्ष का अधिकतम शैक्षिक अवकाश इस सत्र के साथ अनुमन्य किया जाय कि उनके द्वारा संस्थान को दिये गये सेवाकाल की अवधि 10 वर्ष अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 10 वर्ष की अवधि से कम दी हुयी सेवाओं के शिक्षकों हेतु यह अवधि अधिकतम 3 वर्ष ही होगी।
इस बात पर भी न्यायाधीश (मैजिस्ट्रेट) ने नोट किया है।

- 68.12 श्री बृजेश सिंह (कटियार) पुत्र श्री शिव कुमार कटियार द्वारा फर्जी सेवायोजन/अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक आचार्य, बायोकेमिकल इंजी0 पद पर प्राप्त नियुक्ति से सम्बन्धी जॉच रिपोर्ट का अवलोकन।

परिषद के सम्मुख अवलोकन हेतु प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया और परिषद द्वारा इस रिपोर्ट के स्पष्ट न होने का सन्दर्भ देते हुये निदेशक से यह अपेक्षा की गयी कि जॉच रिपोर्ट का परीक्षण कर तथा पुनः पूर्ण विश्लेषण कर इसे परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

- 68.13 श्री एस0एम0 दयाल, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का विधि शुल्क बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विचार

परिषद द्वारा श्री एस0एम0 दयाल, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का विधि शुल्क बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर यह निर्णय दिया गया कि सर्वप्रथम श्री दयाल की विगत 03 वर्षों की संस्थान के वादों की पैरवी की परफारमेन्स रिपोर्ट बना कर अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये तदपश्चात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया जाये।

- 68.14 शासनादेश संख्या: वे0आ0-2-208/दस-2007-44-2001 टीसी, दिनांक 08 फरवरी, 2007 को संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद द्वारा प्रस्ताव पर यह निर्णय दिया गया कि समस्त शासकीय अभियन्त्रण संस्थान के वेतनमानों में एकरूपता के दृष्टिगत इस प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित किया जाये।

SKA